

Governor Bound by State Cabinet Advice on Remission, Premature Release



Governor Bound by State Cabinet Advice on Remission, Premature Release

The power of the governor in remission and premature release, according to the true constitutional clauses and the recent decisions of the courts, is not independent. Article 161 of the Constitution of India provides clemency powers, but these should be exercised in accordance with Article 163, which provides that the clemency should be performed with the aid and advice of the Council of Ministers. The Supreme Court of India has made it quite clear that the advice of the state cabinet was binding on the governor as far as remission issues were concerned. This provides democratic accountability and avoids arbitrary decisions in sensitive criminal justice matters.

Governor Must Follow Cabinet Advice on Remission & Early Release

- The Constitution of India, in Article 161, gives the Governor the power to pardon, remit, or commute sentences.
- Article 163, however, provides that the governor must take action upon the assistance and counsel of the Council of Ministers.

Current Affairs Capsule for 3 April 2026 (CLASS24)

- The Supreme Court of India has made it clear that Cabinet advice is binding in remission affairs.
- The court also made it clear that the governor cannot submit cabinet recommendations to the president with no constitutional support.
- The Madras High Court (2026), in recent events, reiterated that the governor is obligated to act on the advice of the Cabinet, whether he likes it or not.
- The governor is not an independent decision-maker but a constitutional or formal head.
- The state government (council of ministers) is the real executive power.
- The state policies, conduct of the prisoner, and interest of the people are the basis through which decisions on remission are made.
- Where judicial review is possible, the judiciary permits judicial review in case decisions on remission are arbitrary or unconstitutional.
- The scheme of the constitution provides checks and balances concerning clemency powers.
- It does not allow the abuse of power due to political or personal motives.
- The governor has the responsibility of sanctioning decisions made by the Cabinet.
- This is an indication of the collective responsibility of governance.
- It enhances the rule of law and promotes the fairness of criminal justice.
- Altogether, a legitimate interpretation of the law proves that the governor is subject to the State Cabinet's advice in remission and premature release cases.

Legal Basis: Why the Governor Is Bound by Cabinet Advice in Remission Cases

The Constitution of India, Article 161

The governor may shorten or remit a sentence (such as a pardon, remission, or commutation). Nevertheless, this authority is not subjective, and it should be carried out in a due manner.

Article 163 Constitution of India

In most cases, including the decision of remission, the governor has to act based on the recommendation of the State Council of Ministers.

Shamsher Singh vs State of Punjab (1974)

The Supreme Court made it clear that the governor is merely a formal head, and he cannot make any decision independently; decisions are made on the advice of the cabinet.

Union of India vs Maru Ram (1980)

The Court held that the power of remission should be applied according to the recommendation of the state government, but not according to the opinion of the governor.

Union of India vs V. Sriharan (2015)

The Court established strict guidelines on remission and stated that the decisions should be made in accordance with legal procedures and government policy.

Joginder Singh vs State of Punjab (1990)

It was believed that clemency has restraints and should be exercised within the confines of the constitution and laws.

Conclusion

The right of the governor to remission or premature release is a constitutional check and is also democratic. According to the Constitution of India and the judgements of the Supreme Court of India, the governor has to act as the state cabinet advises. This makes sure the decisions are legitimate, stable, and responsible. It also discourages abuse of power and the rule of law, which strengthens the fact that it is the elected government that holds the real executive power and not the governor.

Education Ministry Notifies NCERT as Deemed University



The major development in India's education system: the Ministry of Education has formally given the National Council of Educational Research and Training the status of a deemed university. This move has been arrived at in accordance with the University Grants Commission Act of 1956, which permits individual institutions to operate with academic freedom. It can now design its own courses, grant degrees, and increase its research activities with this status. The relocation is meant to enhance the teaching and learning process, curriculum and creativity in school education in the country with more leniency in the academic system.

NCERT Gets Deemed University Status

- The National Council of Educational Research and Training has been officially notified by the Ministry of Education as a deemed-to-be university.
- This is granted by the University Grants Commission Act, 1956, Section 3.
- Being a deemed university gives institutions more academic freedom.
- NCERT is now able to provide its own degree programmes, in particular, teacher education and educational research.
- The move is aimed at improving the quality of teacher training in India.
- Traditionally, NCERT has been in charge of school textbooks and curriculum development.
- Through this upgrade, it can incorporate research into teaching practices.
- The ruling favours the objectives of the National Education Policy 2020.
- It will assist in developing creative courses in accordance with the contemporary educational requirements.
- NCERT will also be in a position to cooperate with national and international institutions.
- The school will be able to establish its own syllabus and assessment procedures.
- This measure enhances institutional independence in the education sector in India.
- It is likely to increase pedagogical and school education research.
- The relocation will increase the international awareness of NCERT as an educational institution.
- In general, the notification is a significant reform that will help transform teacher education and enhance the learning outcomes in India.

Previous Year Questions on National Education Policy

Exam Name	Year	Question	Options	Correct Answer
UPSC Prelims	2021	Which policy replaced the earlier National Policy on Education (1986)?	(A) Education Policy 1968 (B) NEP 2020 (C) RTE Act (D) None	(B) NEP 2020
SSC CGL	2022	What is the new school education structure under NEP 2020?	(A) 10+2 (B) 5+3+3+4 (C) 8+4 (D) 6+3+3	(B) 5+3+3+4
State PCS	2023	NEP 2020 recommends which medium of instruction at the primary level?	(A) English (B) Hindi (C) Mother tongue (D) Sanskrit	(C) Mother tongue

Current Affairs Capsule for 3 April 2026 (CLASS24)

RRB NTPC	2022	Which ministry is responsible for implementing NEP 2020?	(A) Finance Ministry (B) Home Ministry (C) Education Ministry (D) HRD Commission	(C) Education Ministry
UPSC Prelims	2020	Which body regulates higher education under NEP 2020 (except medical & legal)?	(A) UGC (B) AICTE (C) HECI (D) NITI Aayog	(C) HECI
SSC CHSL	2023	NEP 2020 aims to achieve a GER in higher education by 2035.	(A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) 100%	(B) 50%
State TET	2021	NEP 2020 focuses on which type of learning?	(A) Rote learning (B) Conceptual learning (C) Only theoretical (D) Exam-based	(B) Conceptual learning
UPSC Prelims	2022	Which stage includes ages 3–8 years in NEP 2020?	(A) Preparatory (B) Foundational (C) Middle (D) Secondary	(B) Foundational

Conclusion – NCERT Attains Deemed University Status

The establishment of the National Council of Educational Research and Training as a deemed university by the Ministry of Education is a great leap towards enhancing the education system in India. It gives it more academic freedom, allowing NCERT to design courses, research and even issue degrees. This action is in line with the National Education Policy 2020 and will likely enhance teacher training, curriculum development, and innovation, which will eventually lead to the quality of school education throughout the country.

India's Defence Exports Surge 62% to \$4.1 Billion – Biggest Growth Ever



India has made a big breakthrough in the defence sector with the export of products recording a sharp increase during the last financial year. As per the official figures published by the Ministry of Defence, the defence exports of India went up by more than 62 per cent to about 4.1 billion (₹38,424 crore) in FY 2025–26. This record growth indicates the rising potential of the country in the production of indigenous defence equipment and the increasing demand for Indian military equipment around the world. The success of government efforts to promote self-reliance and make India a major exporter of defence equipment in the world market can also be seen in the surge.

Key Facts of India's Defence Exports Hit Record \$4.1 Billion

- There was a record high in defence exports of ₹38,424 crore (approximately 4.1 billion) in FY 2025–26.
- This is an increase of more than 62 per cent compared to the last financial year.
- The Ministry of Defence officially released the data.
- The steep rise represents the growing demand for Indian-made defence equipment in the world market.
- India currently exports defence products to over 80 countries in the world.
- Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) and individual companies also make great contributions.

Current Affairs Capsule for 3 April 2026 (CLASS24)

- The DPSUs were contributing more than half of the total exports, and the contribution of the private sector is gradually increasing.
- The expansion is in tandem with the self-reliance advocated by the government through defence production.
- India is also becoming a global defence supply chain.
- Major exports are arms, ammunition, aircraft components and sophisticated defence systems.
- The defence exporters have also grown in number in recent years.
- Export growth has been facilitated by policy reforms and the ease of doing business.
- Some of the key importers of Indian defence products are the United States and a number of other nations.
- This expansion is a transition between India as a large importer and a new exporter.
- All in all, the surge consolidates the role of India as an emerging defence manufacturing centre in the world.

Conclusion – India's Defence Exports Hit Record with 62% Surge

The 62 per cent increase in the Indian defence export to a record of 4.1 billion is the first step towards turning India into a global defence manufacturing hub. This growth, as pointed out by the Ministry of Defence, is indicative of good policy backing, more involvement by the private sector and an overall increase in global confidence in Indian defence products. The success goes in line with national initiatives of self-reliance and export promotion. As the reforms and innovations continue, India is in a good position to increase its presence on the international defence markets, decrease the level of importation, and enhance its strategic and economic capabilities in the years ahead.

HINDI

राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की माफी और समय से पहले रिहाई संबंधी सलाह का पालन करने के लिए बाध्य हैं।



संविधान के वास्तविक प्रावधानों और न्यायालयों के हालिया निर्णयों के अनुसार, क्षमादान और समयपूर्व रिहाई के मामलों में राज्यपाल की शक्ति स्वतंत्र नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन इनका प्रयोग अनुच्छेद 163 के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रावधान है कि क्षमादान मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षमादान संबंधी मामलों में राज्यपाल के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी है। इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है और संवेदनशील आपराधिक न्याय मामलों में मनमाने निर्णयों से बचा जा सकता है।

राज्यपाल को छूट और शीघ्र रिहाई के संबंध में कैबिनेट की सलाह का पालन करना होगा।

- भारत का संविधान अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को सजा माफ करने, कम करने या परिवर्तित करने का अधिकार देता है।
- हालांकि, अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्रवाई करनी होगी।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माफी संबंधी मामलों में कैबिनेट की सलाह बाध्यकारी है।

Current Affairs Capsule for 3 April 2026 (CLASS24)

- अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल संवैधानिक समर्थन के बिना राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर सकते।
- मद्रास उच्च न्यायालय (2026) ने हाल की घटनाओं में दोहराया कि राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, चाहे वह इसे पसंद करे या न करे।
- राज्यपाल एक स्वतंत्र निर्णयकर्ता नहीं बल्कि एक संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है।
- राज्य सरकार (मंत्रिपरिषद) ही वास्तविक कार्यकारी शक्ति है।
- राज्य की नीतियां, कैदी का आचरण और जनता के हित वे आधार हैं जिनके माध्यम से सजा माफी संबंधी निर्णय लिए जाते हैं।
- जहां न्यायिक समीक्षा संभव है, वहां न्यायपालिका उन मामलों में न्यायिक समीक्षा की अनुमति देती है जहां छूट संबंधी निर्णय मनमाने या असंवैधानिक हों।
- संविधान की योजना क्षमादान शक्तियों के संबंध में नियंत्रण और संतुलन प्रदान करती है।
- यह राजनीतिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के कारण सत्ता के दुरुपयोग को अनुमति नहीं देता है।
- मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को मंजूरी देने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है।
- यह शासन की सामूहिक जिम्मेदारी का संकेत है।
- यह विधि के शासन को मजबूत करता है और आपराधिक न्याय की निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।
- कुल मिलाकर, कानून की वैध व्याख्या से यह साबित होता है कि राज्यपाल को सजा माफी और समय से पहले रिहाई के मामलों में राज्य मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना होता है।

कानूनी आधार: क्षमादान मामलों में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य क्यों हैं?

भारत का संविधान, अनुच्छेद 161

राज्यपाल सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है (जैसे क्षमादान, सजा में छूट या सजा का कम करना)। फिर भी, यह अधिकार मनमाना नहीं है और इसका प्रयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 163

अधिकांश मामलों में, माफी के निर्णय सहित, राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करनी होती है।

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल केवल एक औपचारिक प्रमुख है और वह स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता; निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह पर लिए जाते हैं।

भारत संघ बनाम मारू राम (1980)

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि माफी देने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि राज्यपाल की राय के अनुसार।

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015)

न्यायालय ने सजा माफी के संबंध में सख्त दिशानिर्देश स्थापित किए और कहा कि निर्णय कानूनी प्रक्रियाओं और सरकारी नीति के अनुसार लिए जाने चाहिए।

Joginder Singh vs State of Punjab (1990)

यह माना जाता था कि क्षमादान की कुछ सीमाएँ होती हैं और इसका प्रयोग संविधान और कानूनों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राज्यपाल को सजा में छूट देने या समय से पहले छुट्टी देने का अधिकार संवैधानिक नियंत्रण होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक भी है। भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय वैध, स्थिर और उत्तरदायित्वपूर्ण हों। यह सत्ता के दुरुपयोग और कानून के शासन को भी रोकता है, जिससे यह तथ्य पुष्ट होता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास।

शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया



भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीओ) को औपचारिक रूप से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। यह कदम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार उठाया गया है, जो व्यक्तिगत संस्थानों को शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। इस दर्जे के साथ, अब यह अपने स्वयं के पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है, डिग्री प्रदान कर सकता है और अपने अनुसंधान कार्यों को बढ़ा सकता है। इस पदस्थापन का उद्देश्य शैक्षणिक प्रणाली में अधिक लचीलापन लाकर देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है।

एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- यह अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदान किया जाता है।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होने से संस्थानों को अधिक शैक्षणिक स्वतंत्रता मिलती है।
- अब एनसीईआरटी अपने स्वयं के डिग्री कार्यक्रम, विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करने में सक्षम है।
- इस कदम का उद्देश्य भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- परंपरागत रूप से, एनसीईआरटी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम विकास का प्रभारी रहा है।
- इस उन्नयन के माध्यम से, यह शिक्षण पद्धतियों में अनुसंधान को शामिल कर सकता है।
- यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के पक्ष में है।
- इससे समकालीन शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचनात्मक पाठ्यक्रम विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- एनसीईआरटी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करने की स्थिति में भी होगा।
- स्कूल अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाएं स्थापित करने में सक्षम होगा।
- यह उपाय भारत में शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।
- इससे शिक्षणशास्त्र और स्कूली शिक्षा संबंधी अनुसंधान में वृद्धि होने की संभावना है।
- इस स्थानांतरण से एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में एनसीईआरटी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी।
- कुल मिलाकर, यह अधिसूचना एक महत्वपूर्ण सुधार है जो भारत में शिक्षक शिक्षा को बदलने और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पिछले वर्ष के प्रश्न

परीक्षा का नाम	वर्ष	सवाल	विकल्प	सही जवाब
यूपीएससी प्रीलिम्स	2021	किस नीति ने पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का स्थान लिया?	(ए) शिक्षा नीति 1968 (बी) एनईपी 2020 (सी) आरटीई अधिनियम (डी) इनमें से कोई नहीं	(बी) एनईपी 2020
एसएससी सीजीएल	2022	एनईपी 2020 के तहत नई स्कूली शिक्षा संरचना क्या है?	(A) 10+2 (B) 5+3+3+4 (C) 8+4 (D) 6+3+3	(बी) 5+3+3+4
राज्य पीसीएस	2023	एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के किस माध्यम की अनुशंसा करता है?	(A) अंग्रेज़ी (B) हिंदी (C) मातृभाषा (D) संस्कृत	(सी) मातृभाषा

Current Affairs Capsule for 3 April 2026 (CLASS24)

आरआरबी एनटीपीसी	2022	एनईपी 2020 को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?	(ए) वित्त मंत्रालय (बी) गृह मंत्रालय (सी) शिक्षा मंत्रालय (डी) मानव संसाधन विकास आयोग	(सी) शिक्षा मंत्रालय
यूपीएससी प्रोलिम्स	2020	एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा को कौन सा निकाय विनियमित करता है (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर)?	(A) UGC (B) AICTE (C) HECI (D) NITI Aayog	(सी) एचईसीआई
SSC CHSL	2023	एनईपी 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर हासिल करना है।	(A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) 100%	(बी) 50%
राज्य टीईटी	2021	एनईपी 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर केंद्रित है?	(A) रटने पर आधारित शिक्षा (B) अवधारणात्मक शिक्षा (C) केवल सैद्धांतिक शिक्षा (D) परीक्षा आधारित	(बी) वैचारिक अधिगम
यूपीएससी प्रोलिम्स	2022	एनईपी 2020 में 3-8 वर्ष की आयु वर्ग को किस चरण में शामिल किया गया है?	(A) प्रारंभिक (B) मूलभूत (C) मध्य (D) माध्यमिक	(बी) मूलभूत

निष्कर्ष – एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देना भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे एनसीईआरटी को अधिक शैक्षणिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जिससे वह पाठ्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान करने और यहां तक कि डिग्री प्रदान करने में भी सक्षम होगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इससे शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे अंततः पूरे देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

भारत के रक्षा निर्यात में 62% की भारी वृद्धि हुई और यह बढ़कर 4.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया – अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि।



रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 62 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 4.1 अरब (₹38,424 करोड़) तक पहुंच गया। यह रिकॉर्ड वृद्धि स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में देश की बढ़ती क्षमता और विश्व स्तर पर भारतीय सैन्य उपकरणों की बढ़ती मांग को दर्शाती है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत को विश्व बाजार में रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनाने के सरकारी प्रयासों की सफलता भी इस उछाल में देखी जा सकती है।

भारत के रक्षा निर्यात के रिकॉर्ड 4.1 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंचने के प्रमुख तथ्य।

- वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंच गया, जो ₹38,424 करोड़ (लगभग 4.1 बिलियन) रहा।
- यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 62 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
- रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर आंकड़े जारी किए।
- इस तीव्र वृद्धि से विश्व बाजार में भारतीय निर्मित रक्षा उपकरणों की बढ़ती मांग का पता चलता है।
- भारत वर्तमान में विश्व के 80 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है।
- रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) और व्यक्तिगत कंपनियां भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

Current Affairs Capsule for 3 April 2026 (CLASS24)

- स्थानीय विकास उपक्रम (डीपीएसयू) कुल निर्यात में आधे से अधिक का योगदान दे रहे थे, और निजी क्षेत्र का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
- यह विस्तार सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के माध्यम से वकालत की जा रही आत्मनिर्भरता के अनुरूप है।
- भारत भी वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है।
- प्रमुख निर्यात में हथियार, गोला-बारूद, विमान के पुर्जे और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में रक्षा निर्यातकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- नीतिगत सुधारों और व्यापार करने में आसानी के कारण निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिला है।
- भारतीय रक्षा उत्पादों के कुछ प्रमुख आयातकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देश शामिल हैं।
- यह विस्तार भारत के एक बड़े आयातक से एक नए निर्यातक बनने की दिशा में एक परिवर्तन है।
- कुल मिलाकर, यह उछाल विश्व में एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है।

निष्कर्ष – भारत के रक्षा निर्यात में 62% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई

भारत के रक्षा निर्यात में 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो रिकॉर्ड 41 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। यह भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में पहला कदम है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह वृद्धि अच्छी नीतिगत सहायता, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और भारतीय रक्षा उत्पादों में वैश्विक विश्वास में वृद्धि का संकेत है। यह सफलता आत्मनिर्भरता और निर्यात प्रोत्साहन की राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है। सुधारों और नवाचारों के जारी रहने से, भारत आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने, आयात के स्तर को कम करने और अपनी रणनीतिक और आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।